कार्यालय प्राचार्य

स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर

जिला – बालोद, छ.ग, भारत

(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ़, भारत से संबद्ध)

Ph No : 07749 – 265461 Email : gururgovernmentcollege@gmail.com Website : gcgurur.org.in

क्रमांक 09 / निविदा / कैंटीन / 2023 गुरूर, दिनांक 11/07/2023

निविदा आमंत्रण

स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर में कैन्टीन संचालन हेतु सीलबंद लिफाफों में निविदाएं आमंत्रित किया जाता है। निविदा रजिस्ट्रर्ड डाक या सीधे महाविद्यालय में जमा किया जा सकता है। निविदा फार्म शुल्क रू. 100.00 (सौ रूपये) जमा कर महाविद्यालय से दिनांक 12.07.2023 से 18.07.2023 समय सुबह 11:00 बजे से दोपहर 02:00 बजे तक प्राप्त किया जा सकता है। निविदा फार्म जमा करने की तिथि 12.07.2023 से 18.07.2023 तक समय शाम 05:00 बजे तक है। निविदा फार्म खोलने की तिथि 20.07.2023 समय दोपहर 01:00 बजे होगी।

निविदा में वाद–विवाद की स्थिति में समिति के पास निर्णय लेने का सर्वाधिकर सुरक्षित रहेगा। निविदा से संबंधित नियम एवं शर्तों की जानकारी महाविद्यालय के वेबसाईट www.gcgurur.org.in में या कार्यालयीन अवधि में महाविद्यालय से प्राप्त किया जा सकता है।

प्राचार्य

Principal

Govt. College Gurur

Distt. Balod (C.G.)

कार्यालय प्राचार्य
स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर
जिला – बालोद, छ.ग, भारत
(हेमचंद यादव विश्वविद्यालय दुर्ग, छत्तीसगढ, भारत से संबद्ध)
Ph No : 07749 – 265461 Email : gururgovernmentcollege@gmail.com Website : gcgurur.org.in

क्रमांक / 09/स्था/कैन्टीन/2023 दिनांक 11/07/2023

कैन्टीन संचालन हेतु शर्ते

स्व. डारन बाई तारम शासकीय महाविद्यालय गुरूर में महाविद्यलाय कैन्टीन संचालन के लिए चयनित व्यक्ति / संस्था / फर्म को निम्नांकित शर्तों का पालन करना होगा –

01. कैन्टीन संचालन के लिए Food Safety and Standards Act 2006 के अंतर्गत जीवित रजिस्ट्रेशन/ अनुमति होना आवश्यक होगा। रजिस्ट्रेशन/ अनुमति अवधि समाप्त होने पर पुनः नवनीकरण करना आवश्यक होगा।
02. कैन्टीन में बाहरी व्यक्तियों का प्रवेश वर्जित होगा।
03. कैन्टीन में कार्यरत कर्मचारियों / व्यक्तियों की आयु 14 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए।
04. कैन्टीन निर्धारित समय सुबह 09:00 बजे से 05:30 बजे तक संचालित की जावेगी।
05. उपयोग में लायी जाने वाली सामाग्री गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए एवं कैन्टीन में बेचे जाने वाली सामाग्री पूर्णतः शाकाहारी व गुणवत्तायुक्त होनी चाहिए।
06. छात्र/छात्राओं द्वारा कैन्टीन उपयोग पश्चात् बिल भुगतान हेतु महाविद्यालय उत्तरदायी नहीं होगा।
07. फर्नीचर एवं अन्य आवश्यक सामाग्री की व्यवस्था कैन्टीन संचालक को स्वयं करनी होगी।
08. नशीले पदार्थ (पान, गुटखा, सिगरेट, तम्बाखु इत्यादि) का विक्रय एवं सेवन पूर्ण रूप से प्रतिबंधित रहेगा।
09. कैन्टीन भवन में किसी प्रकार के विवाद / अशांति के लिए कैन्टीन संचालक स्वयं जिम्मेदार होगा।
10. कैन्टीन भवन का मासिक किराया, महाविद्यालय द्वारा जारी निविदा (भावपत्र) के आधार पर निर्धारित होगा। वर्तमान में कैन्टीन भवन का मासिक किराया / भाड़ा न्यूनतम रू. 500.00 (पांच सौ रूपये) निर्धारित की गई है। चयनित समूह / संस्था / व्यक्ति मासिक किराया प्रत्येक माह के 05 तारिख तक अनिवार्य रूप से जमा करना होगा। कैन्टीन भवन में उपयोग की जाने वाली बिजली एवं पानी का खर्च अतिरिक्त रूप से वहन करना होगा। बिजली खर्च प्रति माह के बिल में प्रदर्शित राशि के अनुसार होगी एवं पूर्ण रूप से वहन करनी होगी।
11. कैन्टीन भवन के अधिग्रहण के पूर्व महाविद्यालय कार्यालय को राशि रू 5000.00 (पांच हजार रूपये) अग्रिम रूप से प्रतिभुति के रूप में अनिवार्यतः जमा करना होगा। मासिक किराया / बिजली खर्च आदि का भुगतान शेष होने पर काटकर बचे शेष राशि अंत में वापस की जावेगी। उक्त जमा राशि पर किसी प्रकार की ब्याज का प्रावधान नहीं होगा।
12. कैन्टीन भवन की नियमित सफाई की जिम्मेदारी कैन्टीन संचालक की होगी।

13. समय–समय पर महाविद्यालय के प्राचार्य / कैन्टीन समिति निरीक्षण करेगी, जिनके निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
14. सामाग्री का मूल्य कैन्टीन समिति तथा विक्रेता (कैन्टीन संचालक) की सहमति से व कैन्टीन समिति के अनुशंसा के अनुसार होगा, जिनका पालन करना अनिवार्य होगा। अनुशंसित दर / राशि से अधिक राशि लेने पर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
15. सामाग्रीयों के गुणवत्ता हेतु कैन्टीन समिति निरिक्षण करेगी, जिनके निर्देशों का पालन करना अनिवार्य होगा।
16. कैन्टीन संचालक को कैन्टीन में पेयजल की स्वच्छता व गुणवत्ता एवं उपकरणों की साफ–सफाई समय–समय पर स्वयं कराना होगा।
17. कैन्टीन भवन के मासिक किराया में प्रतिवर्ष 10 प्रतिशत बढ़ोतरी की जावेगी।
18. स्थानीय व्यक्तियों को प्राथमिका दी जावेगीं जिन्हें न्युनतम 03 वर्ष का कैन्टीन / होटल व्यवसाय का अनुभव हो।
19. कैन्टीन कर्मचारियों का नवीनतम पूर्ण विवरण फोटो सहित महाविद्यालय में जमा करना होगा। निर्धारित शर्तों का उल्लघन तथा समय–समय पर महाविद्यालय प्रशासन के निर्देशों का पालन नहीं किए जाने की दशा में अनुबंध 01 माह की पूर्व सूचना देकर समाप्त कर दिया जाएगा। प्रत्येक शिक्षा सत्र के प्रारंभ में अनुबंध नवीनीकरण करने अथवा नया टेंडर बुलाए जाने का अधिकार महाविद्यालय प्रशासन के पास सुरक्षित होगा।

घोषणा

मैं .... संस्था .... घोषणा / वचन देता हूॅ कि उक्त समस्त शर्तों क्रमांक 01 से 18 तक का पूर्णतः पालन करूंगा। उक्ता शर्तों का पालन न होने की स्थिति में मेरी संस्था / समूह / फर्म का अनुबंध रद्द किया जाता है तो मुझे / हमें इस पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

हस्ताक्षर
कैन्टीन संचालक

नाम ....

संस्था ....

संयोजक
कैन्टीन समिति

प्राचार्य
स्व. डारन बाई तारम शास.महावि. गुरूर